THE BUDGET (RAJASTHAN), 1967-68

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): Sir, I beg to lay on the Table a statement of the estimated receipts and expenditure of the State of Rajasthan for the year 1967-68.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिये रखा गया जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसके बारे में यह निवेदन है कि साधारणतः राष्ट्रपति जी का भाषण इस बात का द्योतक होता है कि हमारे यहां अगले वर्ष में क्या होने वाला है। बहुत खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारी यह सरकार राष्ट्रपति जी के साथ भी मखौल करने में नहीं चूकती। 1964-65 के अभिभाषण में उन्होंने यह कहा था कि संसद में पेटेंट बिल पेश किया जायेगा और उसको पारित करेंगे। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है उपसभाध्यक्ष महोदय, कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी ऐसा लगता है कि विदेशियों के प्रभाव में आना पड़ा, क्योंकि जो पेटेंट बिल पारित होने वाला था ...... ट्रेजरी बेंच पर कोई मंत्री तो रहना चाहिये।

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: No Minister is here.

[*At this stage the Minister of Law (Shri P. Govinda Menon) entered.*]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Yes, you continue now.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपसभाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता लन्च अवर कर देते तो हमारे मंत्री महोदय को कष्ट नहीं होता। खास तौर से, जितनी बड़ी फौज कांग्रेस ने अपने मंत्रियों की बना रखी है उतनी होने के बाद भी इतनी डिस्कर्टसी इतना अवमान, इतना अपमान, जिसके कारण ही दो दो बार चैमरमैन महोदय ने रिमार्क पास किये, उसके बावजूद भी हमारे मंत्री महोदय, जब कि किसी को बोलने को कहा, तब उठ कर चल दिये। वे समझे यह लन्च अवर हो गया।

श्री शीलभद्र याजी : लोक सभा में लन्च अवर होने लगा तो प्रथम बार यहां शुरूआत हुई कि यहां खत्म हुआ। कुछ लन्च का समय तो दिया जाय।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था यहां पर यह सरकार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मखौल उड़ाने में नहीं चूकती क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण में पेटेंट बिल की चर्चा तो हुई लेकिन बाद में उसकी बात ही नहीं आई। 1964 एवं 1966 में भी राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में फसल बीमा योजना बिल का उल्लेख किया था लेकिन वह बिल 1964 में नहीं आया, 1965 में नहीं आया और 1966 में नहीं आया, 1967 में नहीं आया। इसी तरह से 1965 के अभिभाषण में उन्होंने बतलाया था कि आल इण्डिया हैण्डलूम बोर्ड पर एक बिल आयेगा, वह आया मगर लैप्स हो गया। 1966 में राइस बिल से सम्बन्धित बिल के बारे में रेफरेन्स दिया था, वह आया लेकिन वह भी लैप्स हो गया। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम राष्ट्रपति महोदय के मुख से गलत बात कहलाने का कष्ट न किया करें।

श्रीमन्, चतुर्थ आम चुनाव के बारे में हमारे राष्ट्रपति महोदय ने साधारणतः उसको ठीक बताया, कुछ हिंसा और उपद्रवों की घटनाओं की चर्चा करके। मगर आश्चर्य है